



V-211/2023

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-218
11/2/23

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-10072

दिनांक 21-12-2023

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कमलेश कंवर पत्नी श्री चन्द्रवीर सिंह	श्री चौधमल पुत्र श्री झूथाराम	B-214	86.6	खोरामीणा	श्री गोविन्द नगर-11बी	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण, हकत्याग पत्र के आधार पर

आवेदक द्वारा उक्त के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3519

दिनांक: 20/12/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्षे. (व०मी०)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा. योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री विजय कुमार शारदा पुत्र श्री सत्यनारायण	श्रीमती सुमन शारदा पत्नी श्री विजय कुमार शारदा	सी-95	167.20	निजी खातेदारी	पार्श्वनाथ नारायण सिटी ब्लॉक-सी	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र व हक त्याग पत्र


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3518

दिनांक 20/12/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू. क्ष. व0 ग0	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री घनश्याम दास गर्ग पुत्र स्व0 श्री मदन लाल गर्ग	श्री मुकेश सिंघल	69	138.88	निजी खातेदारी	कृष्णा सरोवर	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, स्थल मानचित्र, रसीद

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी- 2247

दिनांक 20-12-2023

विज्ञापित / सूचना

आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का उपविभाजन/नामहस्तारण कर लीहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदकगण के पक्ष में उपविभाजन/नामहस्तारण कर लीहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ई-23-ए	गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका	श्री उमित जैन पुत्र स्व. श्री अपूर्व कुमार जैन	श्री अपूर्व कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पदम चन्द जैन	मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर।
2	31	बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना दौलत विहार-बी	श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री गोमाराम मीणा	श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री गोमाराम मीणा	सूची में भूखण्ड संख्या 32 दर्ज होने के कारण
2	ई-23-बी	गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका	श्री म.नू जैन पुत्र स्व. श्री अपूर्व कुमार जैन	श्री अपूर्व कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पदम चन्द जैन	मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर।
4	32	बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना दौलत विहार-बी	श्रीमती सुप्यार देवी पत्नी श्री झाबरमल मीणा	श्रीमती सुप्यार देवी पत्नी श्री झाबरमल मीणा	सूची में भूखण्ड संख्या 31 दर्ज होने के कारण

उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जयपुर, जयपुर को भित्त कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रमांक 100/2022/उक्त नगरजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार-पत्र में कराने का श्रम करव ले हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा स्कील, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-11-2563616 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/103085 सी. 3148

दिनांक:- 20/12/23

लोक सूचना

परमहंस पुत्र रामसहाय हिस्सा-पूर्ण, जाति-जांगिड ब्राह्मण दौलतपुरा खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (व्यावसायिक) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम, तहसील व जिला का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (है०)
	ग्राम-अनन्तपुरा तहसील-चौमू जिला-जयपुर	परमहंस पुत्र रामसहाय हिस्सा-पूर्ण, जाति-जांगिड ब्राह्मण दौलतपुरा खातेदार	3011/1194	0.1100

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/12/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/102794 51.3147

दिनांक:- 20/12/23

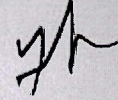
लोक सूचना

ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय हिस्सा-पूर्ण, जाति-जांगिड ब्राह्मण दौलतपुरा खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (व्यावसायिक) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम, तहसील व जिला का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (है0)
	ग्राम-अनन्तपुरा तहसील-चौमू जिला-जयपुर	ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय हिस्सा-पूर्ण, जाति-जांगिड ब्राह्मण दौलतपुरा खातेदार	3010/1194	0.1025

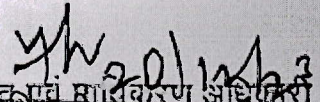
इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/12/23 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-2281 दिनांक:- 19.12.2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित मेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि की योजना रघु विहार विस्तार (ग्राम नानपुर देवरी उपर्ग गोल्यावास) के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 985.03 वर्ग मी. की आवासीय लीजडी 3 दिनांक 21.08.2023 को श्री आयुष गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से जारी की गई थी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सेक्टर व्यावसायिक के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा में अन्य योजना, दक्षिण दिशा में 40 फीट सड़क, पूर्वी दिशा में 30 मीटर सेक्टर सड़क तथा पश्चिमी दिशा में भूखण्ड संख्या 02 स्थित है। आवेदित भूखण्ड 12 मीटर व 30 मीटर सेक्टर सड़क पर स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञापित आज दिनांक को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

150

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 2281 दिनांक: 19.12.2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना रघु विहार विस्तार (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 985.03 व.ग. की आवासीय लीजडीड दिनांक 21.08.2023 को श्री आयुष गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से जारी की गई थी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सैक्टर ब्यावसायिक के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा में अन्य योजना, दक्षिण दिशा में 40 फीट सड़क, पूर्वी दिशा में 30 मीटर सेक्टर सड़क तथा पश्चिमी दिशा में भूखण्ड संख्या 02 स्थित है। आवेदित भूखण्ड 12 मीटर व 30 मीटर सेक्टर सड़क पर स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक को जारी की गई।


उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।